

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर

क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/अनुबंधित कार्मिक/2023/2304



दिनांक:- 24/01/24

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय तथा निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.18(2)/नविवि/विविधि/2024 दिनांक 24.01.2024 की अनुपालना में मण्डल में सेवानिवृति उपरान्त समेकित पारिश्रमिक/संविदा/पे-माईनस पेंशन अथवा अन्य किसी भी माध्यम से कार्यरत समस्त सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता (मु)/ I/ II, राआमं, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी,रा0आ0 मण्डल,जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राज.सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता.....राआमं,
5. उप आवासन आयुक्त वृत...../आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राआमं,.....
6. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी
7. संबंधित श्री
9. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ।
10. संबंधित की निजी/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक